राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शेष रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती लिए

नियम पुस्तिका

(वर्ष 2022)

RULE BOOK

2022

NATIONAL HEALTH MISSION,
MADHYA PRADESH, BHOPAL

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में शेष रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Contractual Community Health Officer) के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए

महत्वपूर्ण जानकारी

पात्रताः—

1. **शैक्षणिक योग्यता** — सीधी भर्ती में चयन हेतुः
   - सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ इंटीग्रेटेड बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है, में उत्तीर्ण उम्मीदवार (ऐसे उम्मीदवार जिन्होने बी.एस.सी. नर्सिंग में सत्र वर्ष 2016 अथवा उसके बाद/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग में सत्र वर्ष 2018 अथवा उसके बाद में प्रवेश लिया हो) Candidates having B.Sc. Nursing OR Post Basic B. Sc. Nursing with Integrated Certificate in Community Health in the final year, recognized by Indian Nursing Council, New Delhi (Such candidates must have taken admission in B.Sc. Nursing Session year 2016 or after/Post Basic B. Sc. Nursing Session Year 2018 or after)
   - दिनांक 01/02/2022 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है/अध्ययनरत है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं है।

2. **आयु सीमाः—** 21—40 वर्ष (दिनांक 01/02/2022 की स्थिति में)। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन (सिर्फ 'अस्थिबाधित' (OH) श्रेणी में), महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
3. **मूल निवासी** — आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. **ऑनलाईन आवेदन—पत्रों की उपलब्धता** :—दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक।
5. **आवेदन करने की अंतिम तिथि** — 15 मार्च 2022।
6. सीधी भर्ती में सफलतापूर्वक चयन होने के पश्चात अभ्यर्थियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नही हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

वर्ष 2022

संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Contractual Community Health Officer) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु नियम

1.सामान्य :–ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Contractual Community Health Officer) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के नियम कहलायेंगे।

2. नियुक्ति हेतु उपलब्ध स्थानों का विवरण :–

प्रवेश प्रक्रिया	कुल स्थान	अनारक्षित (UR)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)		अनुसूचित जनजाति (ST)		अनुसूचित जाति (SC)		अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)		दिव्यांग जनों के लिये (6%) (PH)			
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	वी.एच.	एच.एच.	ओ.एच.	एम.डी.
सीधी भर्ती	486	56	113	16	31	36	73	18	35	36	72	0	0	7	0

'नोटः– प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत सीटें/पद महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।

3. परिभाषाएं :–

इन नियमों में –

3.1 टेस्ट से तात्पर्य है

- Online Written Test for Direct Recruitment of Contractual Community Health Officer
- संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिये ऑनलाईन लिखित परीक्षा।

3.2 आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार।

3.3 विभाग से तात्पर्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

4. सीधी भर्ती हेतु उपस्वास्थ्य केन्द्र का चयनः– मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिये रिक्त उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापना हेतु पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जायेगी।

5. सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :–

5.1 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ इंटीग्रेटेड बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है, में उत्तीर्ण उम्मीदवार (ऐसे उम्मीदवार जिन्होने बी.एस.सी. नर्सिंग में सत्र वर्ष 2016 अथवा उसके बाद/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग में सत्र वर्ष 2018 अथवा उसके बाद में प्रवेश लिया हो) Candidates having B.Sc. Nursing OR Post Basic B. Sc. Nursing with Integrated Certificate in Community Health in the final year, recognized by Indian Nursing Council, New Delhi (Such candidates must have taken admission in B.Sc. Nursing Session year 2016 or after/Post Basic B. Sc. Nursing Session Year 2018 or after)

5.2 उम्मीदवारों को बिन्दु क्रमांक 5.1 के संदर्भ में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से, दिये गये प्रारूप के अनुसार इस आशय का एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। **(परिशिष्ट–'1')**

5.3 मध्यप्रदेश उपचर्या परिषद (MP Nursing Council) में पंजीकृत हों/पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने का प्रमाण हो।

5.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर पूर्व से कार्यरत आवेदक को चयन के पश्चात, उपस्वास्थ्य के चयन हेतु चॉइस फिलिंग के पूर्व अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5.5 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करते समय उनके पास कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

5.6 आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

6. आरक्षण संबंधी नियम :—

6.1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित।

6.2 प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

6.3 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु आरक्षण का लाभ उन्ही आवेदकों को मिलेगा जिनके द्वारा आवेदन के साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का सर्टिफिकेट अपलोड किया जायेगा।

6.4 दिव्यांग जनों के लिये आरक्षण सिर्फ 'अस्थिबाधित' (OH) श्रेणी में उपलब्ध होगा। विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थिबधिता विकलांगता हेतु अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत तक स्वीकार्य होगी।

7. आयु सीमाः— 21—40 वर्ष (दिनांक 01/02/2022 की स्थिति में)। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

स्पष्टीकरणः— आयु—सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल/हायरसेकन्डरी स्कूल प्रमाण—पत्र या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी, उसे ही मान्य किया जावेगा।

8. निरर्हताए :—

8.1 निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc Bursing/GNM/BAMS मान्य नही होगाः—

अ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

ब) भोज मुक्त विश्वविद्यालय

स) स्वाध्यायी अथवा Distance Learning विधि से शिक्षा प्राप्त।

8.2 किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवार के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में उसके उपस्थित होने के लिए/चयन के लिये अयोग्य माना जायेगा।

8.3 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेगें।

8.4 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज में फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो, तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जायेगा। चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.5 पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, तो परीक्षा एवं चयन से अयोग्य घोषित किया जायेगा।

8.6 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जॉच लंबित है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह होगा।

9. आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :—

9.1 उम्मीदवार को 15 मार्च 2022 के मध्यरात्रि 11:59 बजे तक या उससे पहले एस.ए.एम.एस वेबसाइट www.sams.co.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवदेन पत्र (ओ.ए.एफ) को भरना और सबमिट करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जायेगा।

9.2 आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के निम्नानुसार सभी प्रमाण पत्र **अपलोड करना** अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

9.2.1 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ इंटीग्रेटेड बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है, की अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की अंकसूची।

9.2.2 म. प्र. रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल का वैध (जीवित) पंजीयन प्रमाण पत्र। अन्य राज्यों से अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को म. प्र. रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद एक माह का समय दिया जायेगा।

9.2.3 नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिये गये प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(परिशिष्ट–'1')**

9.2.4 12वीं की उत्तीर्ण अंकसूची।

9.2.5 10वीं की उत्तीर्ण अंकसूची।

9.2.6 मूल निवासी प्रमाण–पत्र।

9.2.7 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

9.2.8 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र।

9.2.9 निःशक्तजन / दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

9.3 आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करते समय समस्त पृष्ठ (आगे और पीछे) को अपलोड करना सुनिश्ख्ति करें।

9.4 आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किये गये है। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवदेक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट किया गया'' प्रदर्शित हो गया है। आधे भरे हुए आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.4.1 एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम (Screening Outcome) के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय (एनएचएम की अनुमति के आधार पर) दिया जायेगा। ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के तीन कार्यकारी दिवसों के भीतर जाँच समिति उम्मीदवारों के प्रश्नों का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है।

9.5 लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार SAMS वेबसाईट द्वारा एडमिट कार्ड डाउन लोड करना सुनिश्चित करें।

9.6 ई–एडमिट कार्ड को एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम, की आधिकारिक वेबसाइट क्रमशः www.sams.co.in और www.nhmmp.gov.in से परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

9.7 चयन परीक्षा हेतु स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्रायवेट लिमिटेड (SAMS) द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्न पत्र में 100 Multiple Choice Questions होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नही होगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी।

9.8 परीक्षा केन्द्र SAMS द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

9.9 संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पद पर चयन हेतु SAMS द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

9.10 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित उम्मीदवारों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों की संख्या से कम होने पर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंको की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

9.11 चयन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रैंकिंग (मेरिट सूची) निर्धारित की जायेगी एवं रैंक के आधार पर चॉइस फिलिंग पश्चात उपस्वास्थ्य केन्द्र आबंटन किया जायेगा।

9.12 समान अंक होने की स्थिति में निम्न क्रमानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा –

9.12.1 जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.12.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.12.3 समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का 12वीं के प्रतिशत (हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा प्राप्तांक) ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.12.4 समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का 10वीं के प्रतिशत (हाई सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा प्राप्तांक) ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

10. उपस्वास्थ्य केन्द्र आवंटन :–

10.1 मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिये रिक्त उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापना हेतु पृथक से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जायेगी।

10.2 आवेदकों को उनकी सुविधानुसार उपस्वास्थ्य केन्द्र आवंटित नही किया जायेगा। यदि आवेदक आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र में निर्धारित दिनांक तक रिपोर्ट/ज्वाईन नही करते हैं तो उनका चयन निरस्त हो जायेगा।

10.3 आवंटन के पश्चात् आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र अपरिवर्तनीय होगा।

11. प्रवेश प्रक्रिया :–

11.1 परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् SAMS के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

11.2 चयन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) एवं उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।

11.3 चयन पश्चात पदस्थापना हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिये पृथक से सूचना प्रसारित की जायेगी।

11.4 **दस्तावेज परीक्षणः** चयनित उम्मीदवार को पदस्थापना जॉइन करने के लिये स्वयं अपने नियुक्ति पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेजो के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रस्तुत होना होगा।

11.4.1 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ एकीकृत बी.एससी. नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है, की अंतिम वर्ष की उत्तीर्ण अंकसूची।

11.4.2 नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिये गये प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र। **(परिशिष्ट–'1')**

11.4.3 हाई स्कूल (10वीं) एवं हायर सेकण्डरी स्कूल (12वीं) की अंकसूची।

11.4.4 मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण–पत्र।

11.4.5 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

11.4.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र।

11.4.7 निःशक्तजन/दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

11.4.8 म. प्र. रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र/पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने का प्रमाण । यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसी आवेदक ने अन्य राज्यों से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे मध्य प्रदेश में संबंधित बोर्ड में पंजीयन हेतु प्रवेश के पश्चात 1 माह का समय दिया जायेगा।

11.3.1 नवीन पासपोर्ट साईज का सत्यापित फोटो।

11.3.2 **बंध पत्र –** रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर राशि रूपये 3 लाख का बंध पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो।

11.3.3 मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (न्यूनतम एम.बी.बी.एस. चिकित्सक द्वारा, 15 दिवस के भीतर जारी किया हुआ)।

11.3.4 NHM में संविदा आधार पर कार्यरत आवेदक द्वारा वर्तमान पद से त्याग पत्र दिये जाने की प्रतिलिपि।

11.5 किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माना जायेगा एवं नियुक्ति नहीं दी जावेगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

11.6 उपस्वास्थ्य केन्द्र पर ज्वाईन करने हेतु पदस्थापना आदेश और तिथियां SAMS/NHM वैइसाईट पर प्रदर्शित की जायेंगी। आवंटित जिले और ब्लॉक में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित दिनांक तक ज्वाईन नहीं करेंगे, उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

11.7 गर्भावस्था की स्थिति में उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर ही ज्वाईनिंग दी जायेगी।

12. **चयन रद्द करनाः–** यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर नियुक्ति पा लेने में सफल हो गया है या नियुक्ति के पश्चात् प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गयें एवं चूकवश चयन हुआ हैं तो उम्मीद्वार को दी गई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी। चयन संबंधी किसी भी विवाद में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

13. **पदस्थापना उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन, अनिवार्यः–**

15.1 ज्वाईनिंग के बाद उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर 3 वर्ष निरंतर कार्य सम्पादन के लिये सहमति का राशि रूपये 3 लाख का बंध–पत्र (Bond) रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर पस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15.3 संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स को संविदा आधार पर हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा। इस दौरान इन्हें निर्धारित मानदेय रू 25,000/– प्रतिमाह के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू 15,000/– प्रतिमाह तक प्रदान की जावेगी।

15.4 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रो में स्थित स्वास्थ्य संस्थायें हैं। यहां पर पदस्थ कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स को मुख्यालय अर्थात उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ही निवास करना होगा। ऐसा न करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पदस्थापना निरस्त करते हुये बाण्ड राशि वसूलने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

14. **संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Contractual Community Health Officer) के पद पर पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. अंतिम प्राधिकारी रहेगा।**

15. **चयन प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. चयन के किसी भी नियम/प्रक्रिया/उपलब्ध स्थान/सीटों की संख्या में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।

16. **उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने से पहले नियम पुस्तिका में दिये गये निर्देशों और दिशा–निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।**

''''''''''''''''''

<u>घोषणा पत्र</u>

1. मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2. मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्व इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3. संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Contractual Community Health Officer) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन होने के उपरांत कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में मेरी पदस्थापना ग्रामीण उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर की जायेगी एवं वहां रह कर सवायें न देने की स्थिति में मुझे सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। मैं इससे सहमत हूँ।

4. मैने नियम पुस्तिका अध्ययन कर लिया है एवं उसमें वर्णित प्रावधानों/नियमों को मानने के लिये सहमत हूँ।

दिनांक ....

स्थान..........................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट –ब

संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर हेतु नियम एवं शर्ते

1. संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक के लिये अनुबंध होगा।
2. संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य आवंटन किया जायेगा। संविदा अवधि में रू. 25,000/– प्रति माह मासिक मानदेय एवं अधिकतम रू. 15,000 प्रति माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
3. संविदा CHO को ज्वाईनिंग उपरांत पदस्थापना क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा।
4. संविदा CHO को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना/अकारण अनुपस्थित पाया जाना कदाचार माना जायेगा।
5. संविदा CHO द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा CHO राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।
7. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
8. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितिकरण के संबंध कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होंगे।
9. संविदा की सेवा भार्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैन्युअल वर्श–2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रसारित निर्देशो का पालन ना करने पर अथवा प्राप्त शिकायत के आधार पर संविदा CHO के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संविदा पद से निष्कासित करने का अधिकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

(परिशिष्ट–'1')

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, MP]

***[For Candidate who has Completed B.Sc. (Nursing)/ Post Basic B.Sc. (Nursing) along with Integrated Certificate Course in Community Health (CCH)*]**

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr/ Ms/ Mrs ___________________ university enrolment number ___________________ Son/daughter/ Wife of _____________________ has completed B. Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing course with integrated curriculum of Certificate in Community Health as per notification of university.

Date: ______________

Signatures with Seal